**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 147**

**01.01. 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा-साजो सामान की खरीद में रूकावटें उत्पन्न होना**

**\*147. श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कई रक्षा साजो-सामान की खरीद में रूकावटें उत्पन्न हुईं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रक्षा-सौदों में आई रूकावटों की वजह से हुई कमी से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आधुनिक उपस्कर, अस्त्र-शस्त्र एवं स्कॉरपीन पनडुब्बियों के लिए अठानवे भारी भरकम टारपीडो की प्राप्ति सहित सशस्त्र बलों के लिए रक्षा-साजो सामान के लिए सभी लंबित खरीद को मंजूरी देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तीनों सेनाओं के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

…2/-

- 2-

**रक्षा-साजो सामान की खरीद में रूकावटें उत्पन्न होने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न सं. 147 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में रखने और आधुनिक हथियार प्रणाली से सुसज्जित रहने के लिए रक्षा उपस्करों का पूंजीगत अर्जन रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार एक निरंतर कार्यकलाप के रूप में किया जाता है। मौजूदा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्चतम श्रेणी की सत्यनिष्ठा, लोक जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उपबंधों को शामिल किया गया है। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए एक समझौते की पूर्ववर्ती आवश्यकता के स्थान पर अब 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सभी पूंजीगत अधिप्राप्तियों/योजनाओं के लिए सरकार और बोलीकर्ताओं के बीच एक सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने की परिकल्पना की गई है। सत्यनिष्ठा समझौते के किसी भी उल्लंघन के लिए विक्रेता पर प्रतिबंध लगाने, संविदा समाप्त करने, शास्तियां लगाने और बैंक गारंटी जब्त करने सहित बोलीकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

 सरकार ने कंपनियों के साथ व्यापारिक लेन-देन में शास्ति लगाने के लिए दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं जिसमें गलत कार्यों में संलिप्त कंपनियों पर वित्तीय शास्ति लगाया जाना और इनके साथ लेन-देन पर निलंबन/प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर डीपीपी के प्रावधानों और इस विषय पर दिशानिर्देशों के अनुसार तेजी से कार्रवाई की जाती है ताकि पूंजीगत अधिप्राप्ति को लंबे समय तक के लिए रोका/अवरूद्ध न किया जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, मामले को आगे की जांच के लिए उचित एजेंसी के पास भेजा जाता है।

(ग) और (घ): डीपीपी 2016 में अधिप्राप्ति क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए समय सीमा कम करने हेतु प्रावधान हैं। इसके अलावा, सरकार चल रही अधिप्राप्ति परियोजनाओं को नियमित रूप से मॉनीटर करती है ताकि सैन्य बल सुरक्षा चुनौतियों के सम्पूर्ण परिदृश्य का सामना करने के लिए सुसज्जित रहें। रडारों, मिसाइलों, टैंकों, आर्टिलरी गन्स, राइफलों, माइक्रो मानव रहित एरियल व्हीकल (यूएवी), बैलिस्टिक हेलमेटों, विमानों, हेलिकाप्टरों, फ्रिगेट्स, राकेटों, पोतों, गोला-बारूद और सिम्युलेटर्स जैसे रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवंबर 2017 तक) के दौरान सेना के लिए 71, नौसेना के लिए 82 और वायु सेना के लिए 34 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारी वजन वाले तारपीडों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के मामले को प्रस्ताव हेतु अनुरोध, जिसे वापस ले लिया गया था, को पुनः शुरू कर दिया गया है।

\*\*\*